09.11.22

पत्रावली पेश। अधिवक्ता पक्षकारान उप. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली सारहीन होने से खारीज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) रेवदर